

निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्राचार्य,
स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह
शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली

विषय :- कैंटीन एवं मिलेट कैफे हेतु निविदा वर्ष 2025-26 बाबत ।

महोदय!

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है -

स.क्र.	विवरण	
1	स्व-सहायता समूह का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	स्व-सहायता समूह के प्रतिनिधि का नाम	
4	पदनाम	
5	दूरभाष/मो.नं.	

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा में दर्शित शर्तों के अनुसार कैंटीन एवं मिलेट कैफे व्यवस्था हेतु निविदा एक वर्ष के लिए कार्य करने की सहमति प्रदान करते हैं।

स्व-सहायता समूह के अधिकृत
हस्ताक्षर एवं सील



निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

- 1.1 निविदा फार्म को महाविद्यालय की वेबसाईट www.govtcollegesaraipali.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है या महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- 1.2 यह निविदा स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली द्वारा आयोजित कक्षाएं, परीक्षाएं, युवा उत्सव, सेमीनार, कान्फ्रेंस, खेल प्रतियोगिताओं तथा अन्य कार्यक्रमों में खान-पान व्यवस्था एवं एक वर्ष के लिए कैंटिन एवं मिलेट कैफे संचालन हेतु आमंत्रित की जा रही है।
- 1.3 मिलेट आधारित खाद्य सामग्री उपलब्ध करना।
- 1.4 स्व-सहायता समूह को प्राथमिता दी जावेगी।
- 1.5 कैंटीन एवं खान-पान व्यवस्था हेतु निविदा को ऑफ लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट पर दी जावेगी।
- 1.6 निविदाकर्ता द्वारा भाग-4 में दर्शित खाद्य सामग्री की मूल्य सूची पर सिर्फ एक छुट (प्रतिशत में) प्रदर्शित की जावे। यह सभी खाद्य सामग्री पर समान रूप से लागू होगी।
- 1.7 यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस को खोली जाएगी।
- 1.8 प्रक्रिया-1 रु. (क) तथा सुरक्षा निधि राशि रु. 10000.00 (रूपये दस हजार मात्र) है। इन्हे डिमांड ड्राफ्ट जो प्राचार्य, स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली के पक्ष में देय हो के माध्यम से जमा किया जाना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही स्व-सहायता समूह को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा।
- 1.9 प्रक्रिया-2 उपरोक्त प्रक्रिया-1 में योग्य पायी जाने वाली स्व-सहायता समूह की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग-2 में दर्शित दस्तावेज स्व-सहायता समूह की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज लिफाफे में रखा जावे।
- 1.10 प्रक्रिया-3 तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया-2 में योग्य पायी जाने वाली स्व-सहायता समूह की वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग-2 में दर्शित दस्तावेज स्व-सहायता समूह की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज लिफाफे में रखे जावें।
- 1.11 डिजिटल पेमेंट और "Zero Waste Policy" को अपनाना।

तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्तें

- 2.1 निविदा में भाग लेने वाली स्व-सहायता समूह किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बावत् निविदाकर्ता स्व-सहायता समूह को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रु. 100/- के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।
- 2.2 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा स्व-सहायता समूह की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर स्व-सहायता समूह की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न नहीं माना जावेगा।
- 2.3 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जिस पर स्व-सहायता समूह की सील सहित हस्ताक्षर चाहिए। निविदा के साथ संलग्न करें –
(क) समूह का वैध पंजीयन (अद्यतन) की छायाप्रति संलग्न करें।
- 2.4 यदि निविदा की शर्तों एवं दिनांक में कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट www.govtcollegesaraipali.ac.in पर दी जावेगी।

निम्नानुसार दस्तावेज को स्व-सहायता समूह की सील एवं हस्ताक्षर के साथ संलग्न करें—

क्र.	विवरण
1	सुरक्षा निधि राशि रु. 10000.00 निर्धारित है। इसे बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना होगा।
2	निविदा में भाग लेने वाली स्व-सहायता समूह किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बावत् निविदाकर्ता स्व-सहायता समूह को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रु. 100.00 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।
3	आयकर (PAN) नम्बर की छाया प्रति संलग्न करें।
4	वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
5	प्रपत्र ए-1 (निविदा प्रपत्र)

निविदा की अन्य शर्तें

1. सफल निविदाकर्ता को महाविद्यालय के साथ एक अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि को जब्त किया जा सकेगा।
2. पात्र पाई गयी संस्था को प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जाएगा।
3. महाविद्यालय द्वारा फर्म की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता को देखते हुए अनुबन्ध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 2 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
4. दोनो पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनमत 03 माह की पूर्व सूचना देना होगा।
5. खाद्य सामग्री संतोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता का आदेश स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार प्राचार्य के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
6. स्व-सहायता समूह महाविद्यालय के प्रदाय किये जाने वाले भोजन हेतु उच्च गुणवत्ता के अनाज, दालें, मिलेट, कैफे, ताजी सब्जियां, डबल रिफाईन्ड तेल, ब्रांडेड एगमार्ग मसाले एवं मिलावट रहित डेरी प्रोडक्ट्स, दही, दुध, पनीर, मावा आदि गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा।
7. यदि केटरिंग स्व-सहायता समूह द्वारा महाविद्यालय को प्रदाय की खाद्य सामग्री को व्यक्तियों द्वारा खाने के पश्चात् फूड पाईजनिंग होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व केटरिंग स्व-सहायता समूह की होगी।
8. केटरिंग फर्म द्वारा निर्धारित समय पर खाद्य सामग्री ताजी एवं गर्म परोसी जायेगी।
9. पैकड लंच/डिनर के लिए लेमीनेटेड एल्यूमिनियम फाइल युक्त कार्ड डिब्बे का उपयोग किया जाएगा। चावल, सब्जी, दाल, रायता एवं स्वीट डिश पैक करने के लिए प्लास्टिक डिस्पोजल ढक्कन सहित कटोरी का उपयोग किया जाएगा। सलाद एवं अचार प्लास्टिक के जिप युक्त थैली में पैक किया जाएगा। प्रत्येक डिब्बे में एक डिस्पोजल चम्मच रखी जायेगी। प्रत्येक पैकेट को बंद करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य सामग्री का रिसाव न हो। पैकड आयटम उपरोक्त मानक अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान से यथोचित कटौती की जाएगी।
10. खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त प्रदाय नहीं करने पर देयक में से 2% से 10% कर कटौती की जावेगी।
11. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही स्वीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री की गुणवत्ता उचित न होने पर निविदादाता को उनके व्यय पर वापस की जाएगी तथा देयक से वापस की गई सामग्री की राशि की कटौती की जाएगी।
12. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित स्व-सहायता समूह स्वयं उत्तरदायी होगी।
13. खाद्य सामग्री प्रदाय के FOR दरें स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली होगी।
14. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली के पास सुरक्षित रहेगी।
15. निविदाकर्ता द्वारा फुड सेफ्टी नार्मस का पालन करना होगा।
16. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या का प्रश्न उपस्थित होने पर कैंटीन समिति स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
17. निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर महाविद्यालय स्वविवेक से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार सरायपाली न्यायालय होगा।
19. कैंटीन में बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

10. कैटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थों अथवा द्रव्यों/धूम्रपान (पान, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
21. कैटीन संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व कैटीन संचालक का होगा। अतएव जिन परिस्थितियों का उल्लेख निविदा फार्म में नहीं किया गया है उनके लिए भी कैटीन संचालक उत्तरदायी होगा।
22. निविदा स्वीकृत होने की दशा में राशि रु. 100/- (एक सौ मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
23. कैटीन में प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री शुद्ध शाकाहारी रहेगी।
24. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना वर्जित है।
25. यह निविदा अहस्तांतरणीय है।
26. चयनित संस्था अपने कर्मियों की निष्ठा एवं आचरण का सत्यापन सुनिश्चित करेगी एवं उनका अभिलेख रखेगी।
27. निविदा खोलते समय यदि स्व-सहायता समूह का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता है तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
28. निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा कैटीन में कार्यरत कर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में जाने पर महाविद्यालय द्वारा कैटीन संचालक के उपर कार्यवाही की जावेगी।
29. कैटीन में कार्यरत कर्मियों के इंश्योरेंस की जिम्मेदारी कैटीन संचालक की होगी। कैटीन कर्मियों के साथ हुई किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
30. कैटीन संचालक को कैटीन का किराया रु. 500.00 (रु. पांच सौ) प्रति माह महाविद्यालय में जमा करना होगा। बिजली का सब मीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग अनुसार विद्युत व्यय वर्तमान में प्रचलित कमर्शियल दर पर प्रति यूनिट की दर से पृथक से महाविद्यालय में प्रति माह जमा करना होगा।
31. कैटीन में प्रदाय खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा खाद्या सामग्री तैयार करने में उपयोग किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं साफ-सफाई की स्थिति के संतोषप्रद हाने का सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा तथा सफल निविदाकार उक्त बातों के लिए समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।
32. निगरानी समिति तथा निविदाकार के मध्य किसी विवाद की स्थिति में गुण-दोषों के आधार प्राचार्य का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
33. निगरानी समिति को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसी खाद्य सामग्री को चखकर (खाकर) सुनिश्चित कर, जिसके लिए उपयोग सामग्री का कोई मूल्य पृथक से देय नहीं रहेगा।
34. महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रमों के खाद्य/पेय सामग्री प्रदाय हेतु सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित कार्यादेश प्रदाय किया जाएगा, जिसके आधार पर ही प्रदायित सामग्री के देयकों का भुगतान देय होगा।
35. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15.07.2025 अपरान्ह 03:00 बजे है।

उपरोक्त समस्त शर्तें मुझे मान्य हैं। मैं कथन करता हूँ कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित जानकारी सत्य है एवं इसकी सभी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य हैं।

निविदाकर्ता का नाम -

पता -

हस्ताक्षर एवं मुहर

खाद्य सामग्री का विवरण एवं दर सूची

COFFET
DRINKS

S.No.	PARTICULAR	RATE IN RS.
1	Coffee 100 ML	
2	Tea 100 ML	
3	Lassi 200 ML	
4	Butter Milk 200 ML	
5	Ragi Malt Drink	

SNACKS (PER PLATE)

S.No.	PARTICULAR	RATE IN RS.
1	Alu Paties 75 gm	
2	Bread Pakoda 75 gm	
3	Dhokla 100 gm	
4	Poha 100 gm	
5	Veg Sandwich 100 gm	
6	Paneer Paties 90 gm	
7	Dahi/Sabji, Puri (6 pcs) 250 gm	
8	Dahi Vada 200 gm	
9	Idli 2 No 75 gm each and Sambhar 200 gm and chatni 20 gm	
10	Vada 2 No 75 gm each and shambar 200 gm and chatni 20 gm	
11	Masala Dosa Palin 1 Nos 250 gm+Sambhar 200 gm and chatni 20 gm	
12	Chhole 200 gm+Bhatura 2 nos 100 gm each+Achar 20 gm	
13	Cutlet 100 gm	

ROTI (PER NOS)

S.No.	PARTICULAR	RATE IN RS.
1	Tawa Roti 25 gm	
2	Puri 25 gm	
3	Tawa Roti with Butter 35 gm	
4	Paratha 40 gm with Raita/Dahi	
5	Masala Paratha/Alu Paratha 60 gm	
6	Alu Paratha 100 gm	

DAL

S.No.	PARTICULAR	RATE IN RS.
1	Dal Fried (Full) 400 gm	
2	Dal Plain 400 gm	
3	Dal Tadka 400 gm	
4	Rajma Masaledar 400 gm	
5	Dal Makhani 400 gm	

S.No.	PARTICULAR	RATE IN RS.
1	थाली - दो सब्जी, दाल, 2 रोटी, चावल, पापड़	

PARTICULAR	RATE IN RS.
Plain Rice (Full) 300 gm	
Jeera Fried Rice (Full) 300 gm	

Vegitable

S.No.	PARTICULAR	RATE IN RS.
1	Paneer	
2	Veg Sabji	

Millet --

S.No.	PARTICULAR	RATE IN RS.
1	रागी इडली (4 पीस)	
2	बाजरा उपमा 1 बाउल	
3	कोदो खिचड़ी 1 प्लेट	
4	ज्वार पिज्जा स्लाइस	
5	मिलेट कटलेट	
6	रागी कुकीज	
7	बजरे की रोटी, 1 सब्जी	